

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण
टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री नन्द लाल जैन (संघी) पुत्र श्री प्रहलाद जाति महाजन एफ.बी.ओ. मैसर्स नन्द लाल भाग
चन्द बडा कुंआ टोंक निवासी देवली रोड आदर्श नगर टोंक।

2-श्री संजय कुमार पुत्र श्री पुष्करदत्त अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्मी साल्ट वर्क्स गुढा
साल्ट, नांवा शहर जिला नागौर राज. निवासी रेल्वे सिग्नल के पास, नांवा शहर जिला नागौर
राज.

.....अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपरिथत-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिनिधि उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 31/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 31.01.2013 को समय 03:45 पी.एम. पर मैसर्स नन्द लाल भाग चन्द बडा कुंआ टोंक
पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री नन्द लाल जैन पुत्र
श्री प्रहलाद अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपरिथत मिला, श्री नन्द
लाल जैन पुत्र श्री प्रहलाद को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नन्द
लाल जैन पुत्र श्री प्रहलाद ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं
मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम
जनता को विक्रय हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ नमक आयोडाइज्ड (नन्दी मूल
पैक) के प्लास्टिक बैग सील पैक लगभग 100 बैग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट
की शंका होने पर श्री नन्द लाल जैन पुत्र श्री प्रहलाद को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय
करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.
बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री नन्द लाल जैन पुत्र श्री प्रहलाद व गवाहान के
हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक
किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह नमक
आयोडाइज्ड (नन्दी मूल पैक) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 1-1 किलोग्राम के
चार मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत बिल्ला को नगद देकर रशीद प्राप्त की।



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा नमक आयोडाइज्ड (नन्दी मूल पैक) 1-1 किलोग्राम के चार मूल पैक को चार साफ व सूखे चौकोर डिब्बों में रखकर अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-466 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-466 नीचे से उम्र तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को घागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/13/987 दिनांक 27.02.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/15/एफएसएसए/2012/15 दिनांक 12.02.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया नमक आयोडाइज्ड (नन्दी मूल पैक) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिनिधि श्री उमेश जैन उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है तथा वारन्टी बिल के आधार पर अप्रार्थी सं. 2 निर्माता फर्म से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया था। अतः अप्रार्थी ने दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 बार-बार रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस नमक आयोडाइज्ड (नन्दी मूल पैक) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमक आयोडाइज्ड (नन्दी मूल पैक) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा



[Handwritten Signature]
जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं. 1 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क़य किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 2 के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सीकार्या)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट -
टोंक-राज